

क्रमांक:-एफ/आयोजना/ 6675-76

दिनांक:-

10/08/23

श्री श्यामसिद्धी जयें पार्टनर श्रीमती सुधा सेठी
निवासी 153, स्कीम नं० 2, अलवर

विषय :- खसरा नंबर 2367, 3401/2855, 3404/2363 ग्राम तूलेड़ा तह० व जिला अलवर क्षेत्रफल 10000 वर्गमीटर की भूमि का आवासीय ले-आउट प्लान स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा खसरा नंबर 2367, 3401/2855, 3404/2363 ग्राम तूलेड़ा तह० व जिला अलवर क्षेत्रफल 10000 वर्गमीटर की भूमि का आवासीय ले-आउट प्लान स्वीकृति हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया। ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 15.06.2023 के निर्णयानुसार बाह्य विकास शुल्क की राशि 20 प्रतिशत की छूट देते हुए कुल राशि 8,00,000/-रु० जयें रसीद सं० 3263/26 दिनांक 04.08.2023 एवं विक्रय योग्य क्षेत्रफल ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भूखण्डों के एवज में 27,78,742/-रु० जयें रसीद सं० 3255/10 दिनांक 17.07.2023 के द्वारा जमा करा दिये गये हैं। अतः ले-आउट प्लान निम्न शर्तों पर स्वीकृत किया जाता है :-

01. आन्तरिक विकास के मध्य रखे गये 12.5 प्रतिशत में आवासीय भूखण्ड सं० 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 49 क्षेत्रफल 627.11 वर्गमीटर एवं इन्फोर्मल शॉप नं० 1, 2, 3 क्षेत्रफल 27.00 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 654.11 वर्गमीटर तब तक आवेदक द्वारा विक्रय नहीं किया जावेगा, जब तक की विकास कार्य पूर्ण नहीं हो जाता एवं विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मौके पर सत्यापन होने के पश्चात् उक्त भूखण्डों को रहन गुवत किया जायेगा एवं प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 20.07.2023 में अंकित शर्तों की पालना करनी होगी।
02. आन्तरिक विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा। अण्डरटेकिंग दिनांक 17.07.2023 प्रस्तुत की गई है। जिसकी पालना करनी होगी।
03. राज्य सरकार/न्यास द्वारा जारी टाऊनशिप पॉलिसी व प्रचलित भवन विनियमों के दिये गये निर्देशों की विकासकर्ता को पालना करनी होगी।
04. राज्य-सरकार के परिपत्र दिनांक 29.09.2021 के अनुसार टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर यथा मोबाईल टावर हेतु नियमानुसार हेतु भूमि आरक्षित करना आवश्यक होगा।
05. राज्य सरकार/न्यास द्वारा देय राशि की मांग की जाती है तो जमा करानी होगी।
06. नियमानुसार भूखण्डों के पट्टे प्राप्त कर भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
07. टाऊनशिप पॉलिसी के प्रावधान अनुसार योजना का विकास कार्य 18 माह में पूर्ण करना होगा। नियमानुसार पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
08. स्वीकृत योजना का (RERA) में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
09. एकीकृत भवन विनियम/टाऊनशिप पॉलिसी के अनुसार वर्षा जल संरक्षण व एस.टी.पी. का नियमानुसार प्रावधान करना होगा।
10. ले-आउट प्लान में दर्शाये गये सुविधा क्षेत्र की भूमि को डवलपर द्वारा विक्रय नहीं किया जावेगा।

10/8/23
सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, अलवर

7/8/23
अधिशायी अभियन्ता
नगर विकास न्यास, अलवर

3/8/23
सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर
दिनांक:-

क्रमांक :-
प्रतिलिपी:-

01. अधिशायी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, अलवर को वास्ते सूचनार्थ।

3/8/23
सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर

“यह बात रखे ध्यान में पट्टा ले अभियान में”
न्यास भवन, भगत सिंह सर्किल, जयमार्ग, अलवर- 301001
Phone No-0144-2700456, Mail ID-uitalwar@gmail.com,
“Clean Alwar-Green Alwar”

LAY OUT PLAN FOR RESIDENTIAL SCHEME IN KH.NO. 2367, 3401/ 2855, 3404/ 2363 VILLAGE TULERA TEHSIL&DISTT. ALWAR

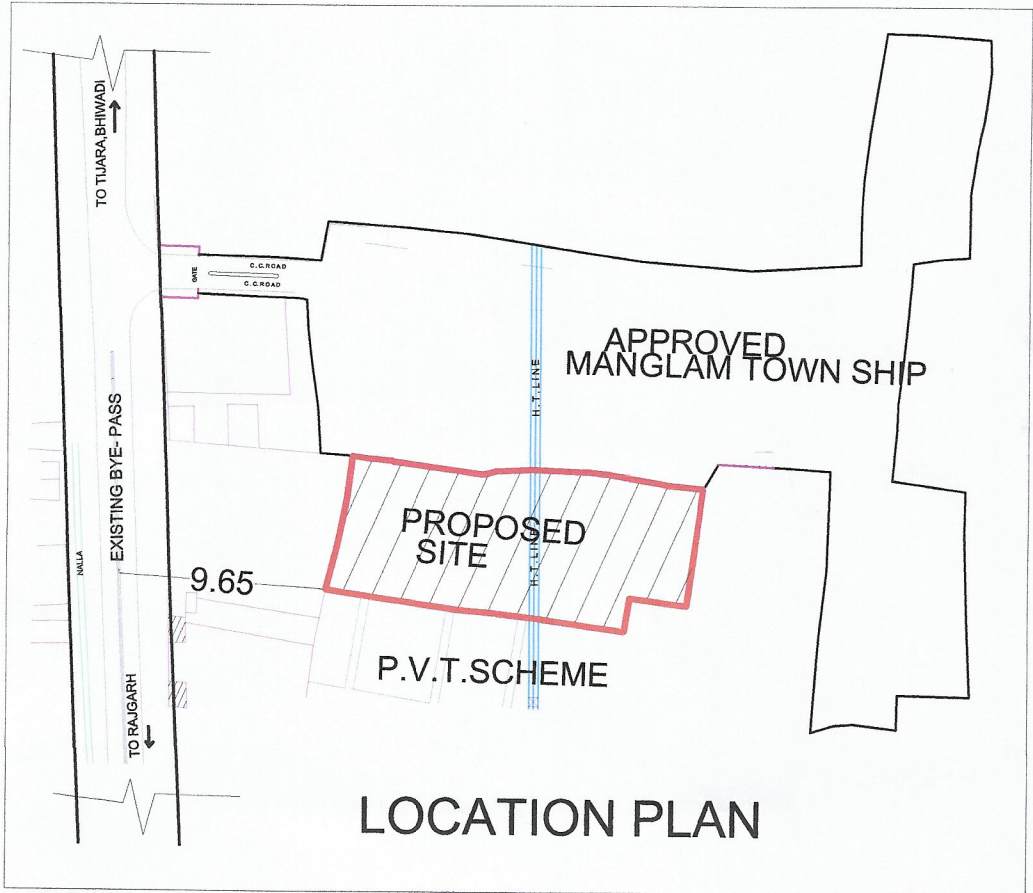
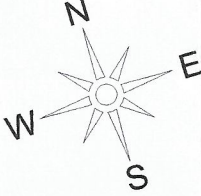
AREA DETAILS :-

S.NO.	USE	AREA IN SQM	PERCENTAGE
1	RESIDENTIAL	5013.35	50.13 %
2	COMMERCIAL	200.00	02.00 %
3	GREEN	719.60	07.20 %
4	FACILITY	169.10	01.69 %
5	CIRCULATION	3897.95	38.98 %
TOTAL AREA		10000.00	100.00 %

NOTE:-
(1) SCHEME BOUNDARY SHOWN
(2) H.T. LINE SHOWN
(3) KHASRA BOUNDARY SHOWN

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 15.06.2023 के निर्णयानुसार आन्तरिक विकास कार्य हेतु कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 12.5 प्रतिशत खसरा नं० 2367, 3401/2855, 3404/2363 ग्राम तुलरा के आवासीय भूखण्ड सं० 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 49 क्षेत्रफल 627.11 वर्गमीटर एवं इन्फोर्मल शॉप नं० 1, 2, 3 क्षेत्रफल 27.00 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 654.11 वर्गमीटर है, न्यास के पक्ष में रहन रखा गया है। आन्तरिक विकास पूर्ण होने पर न्यास द्वारा मौके से सत्यापन के पश्चात रहन मुक्त किये जायेंगे।

SCALE 1:350

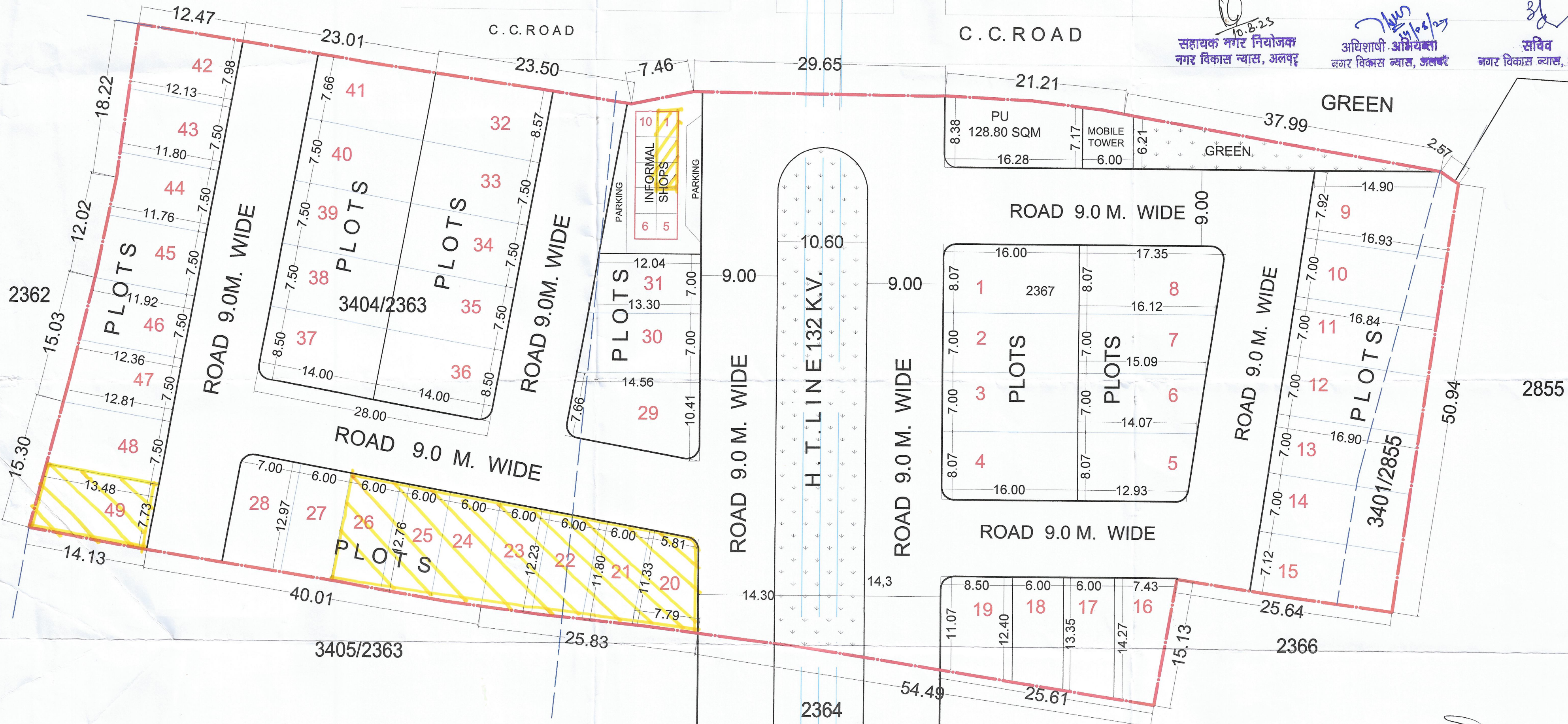


APPROVED MANGLAM TOWNSHIP

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, अलवर

अधिशायी अभियंता
नगर विकास न्यास, अलवर

सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर



Er. Harsh Gupta (Civil Eng.)
Chartered Engineer
Approved By UIT & MCA
3 Ka-368, Shivaji Park, ALWAR
Lic. No.

SIG. OF APPLICANT

SIG. OF ARC./ ENG.